



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत

सहायक संचालक (योजना) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 01/2018/ 01.03.2018

नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय,

मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की

अंतिम तिथि 14.04.2018

महत्वपूर्ण

- 1- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग हेतु सहायक संचालक (योजना) के 12 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-
अनिवार्य अर्हता
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योजना में स्नातक, या
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नगर निवेश/ क्षेत्रीय निवेश/ यातायात एवं परिवहन/ भू-दृश्य वास्तु कला/ नगर रूपांकन/ आवास निर्माण/ पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि।
Essential Qualification
Graduation in Planning from any recognized University, or
Post graduate degree in Town Planning/ Regional Planning/ Traffic and Transportation/ Land
scape Architecture/ Urban Design/ Housing/ Environment Planning from a recognized
university.
- 2- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2018 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 14.04.2018 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं।
- 3- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ उनकी पात्रता से संबन्धित सभी अभिलेख यथा शैक्षणिक अर्हता की हाईस्कूल से लेकर अनिवार्य अर्हता तक की सभी अंकसूचियां, उपाधियां, जाति प्रमाण-पत्र, निःशक्तता प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र आदि को अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें की शुल्क भुगतान हो गया है। उक्त ऑनलाइन आवेदन को सम्हालकर रखें। आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन पत्र भरें।
- 4- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदनपत्रों में दिनांक 20.03.2018 से दिनांक 16.04.2018 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
- 5- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर तथा आधार नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
- 6- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविर्लभ आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पद	कुल पद	वेतनमान
	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC			
राजपत्रित द्वितीय श्रेणी											
सहायक संचालक (योजना) Assistant Director (Planning)	7	1	2	2	2	0	1	1	1 अस्थिबाधित	12	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
Abbreviations: UR- अनारक्षित, SC-अनुसूचित जाति, ST-अनुसूचित जनजाति, OBC-अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर)											

दो पद का विवरण

01	पद का नाम	:	सहायक संचालक (योजना) Assistant Director (Planning)
	विभाग का नाम	:	नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन
	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अनुसार कार्यवाही करना

तीन शैक्षणिक अर्हता :

अनिवार्य अर्हता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योजना में स्नातक, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नगर निवेश/ क्षेत्रीय निवेश/ यातायात एवं परिवहन/ भू-दृश्य वास्तु कला/ नगर रूपांकन/ आवास निर्माण/ पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि।

Essential Qualification

Graduation in Planning from any recognized University, or Post graduate degree in Town Planning/ Regional Planning/ Traffic and Transportation/ Land scape Architecture/ Urban Design/ Housing/ Environment Planning from a recognized university.

- टीप-**
- (1) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
 - (2) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुये पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
 - (3) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा पर की जायेगी।
 - (4) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के

अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

- (5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के रूप में मान्य हैं, आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमी लेयर में नहीं आते।
- (6) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।
- (7) मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः आयु सीमा: 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो

सात आयु संगणना तिथि 01.01.2019

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट -1 देखें।

आठ अधिवार्षिकी आयु :- 60 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या पदों की संख्या के आठ गुने अर्थात् 96 तक होने पर :- सभी पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(2) अभ्यर्थियों की संख्या पदों की संख्या के आठ गुने अर्थात् 96 से अधिक होने पर :- पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 5 गुना (न्यूनतम 60) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु 41% तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी।

